PUNJAB WAKE BOARD THROUGH SECRETARY AMBAL A CANTT. v. SMTPARBATI AND ANOTHER

* (Jitendra Chauhan, J.)

जीतेन्द्र चौहान जे. के समक्ष

पंजाब वक्फ बोर्ड

सचिव अम्बाला कैंट के माध्यम से-अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती. पारबती और अन्य, -प्रतिवादी

1985 का आरएसए नंबर 1433

23 मार्च 2011

पंजाब वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1959-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, हरियाणा सार्वजनिक वक्फ (सीमा का विस्तार) अधिनियम, 1978-विवादित संपत्ति-मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मस्जिद-देश के विभाजन के बाद प्रतिवादी ने मस्जिद का अतिक्रमण किया-संपत्ति साबित करने वाले साक्ष्य एक मस्जिद - नीचे की अदालतों ने गलत तरीके से प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जे में रखा - नीचे की अदालतों के निष्कर्ष दस्तावेजों की गलत व्याख्या के कारण विकृति से ग्रस्त हैं - अपील की अनुमित दी गई, नीचे की अदालतों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रह कर दिया गया।

माना गया कि विवाद वाली संपत्ति एक मस्जिद थी जिसका इस्तेमाल कस्बे के मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के लिए किया जाता था। हालाँकि, देश के विभाजन के बाद, शहर में केवल कुछ मुस्लिम परिवार रह गए और मस्जिद अनुपयोगी हो गई, जिस पर वर्ष 1951-52 में प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। अब्दुल सितार, वक्फ अधिकारी, पीडब्लू1 के बयान के अनुसार, विवादित संपत्ति मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद के रूप में बनाई और समर्पित की गई थी। यह तथ्य इस्माईल, पीडब्लू2 और कामरू दीन, पीडब्लू3 के बयानों से पृष्ट होता है।

(पैरा 16)

इसके अलावा, यह माना गया कि पंजाब वक्फ बोर्ड अधिसूचना (एक्स. पी.3) और फॉर्म नंबर 4 (बिना अर्जित निष्क्रांत संपत्ति का किराया मांग और संग्रह रजिस्टर (एक्स.पी.6) के अनुसार, विवाद में संपत्ति को एक मस्जिद के रूप में दिखाया गया है। यह तथ्य वर्ष 1974-75 से संबंधित मूल्यांकन रजिस्टर (मार्क 'ए') से भी साबित होता है कि विवाद में संपत्ति मस्जिद वक्फ बोर्ड है। इसलिए नीचे के न्यायालयों के मुद्दे संख्या 1 और 2 पर निष्कर्ष आ चुके हैं सबूतों और रिकॉर्ड को गलत तरीके से पढ़कर और तदनुसार इसे उलट दिया जाता है कि विवाद में संपत्ति वक्फ बोर्ड में निहित एक मस्जिद है।

(पैरा 17)

इसके अलावा, यह माना गया कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों ने हरियाणा सार्वजनिक वक्फ (सीमा का विस्तार) अधिनियम, 1978 के प्रावधानों की अनदेखी की और गलत तरीके से माना कि प्रतिवादी/प्रतिवादी का प्रतिकूल कब्जा है। मुकदमे के संबंध में परिसीमा की अविध 31 दिसंबर, 1980 तक रहेगी। मुकदमा 16 जुलाई, 1979 को दायर किया गया था। इन परिस्थितियों में, नीचे के विद्वान न्यायालयों ने इस अधिनियम के प्रभाव पर विचार न करके गलती की। वाद परिसीमा के अंतर्गत होने के कारण, प्रतिवादी का प्रतिकूल कब्ज़ा साबित नहीं होता है। नीचे दी गई दोनों अदालतों के निष्कर्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की गलत व्याख्या के कारण विकृत हैं।

(पैरा 19)

जय भगवान, अधिवक्ता,/या अपीलकर्ता।

आलोक जैन, अधिवक्ता,/या प्रतिवादी।

जीतेन्द्र चौहान, जे.

- (1) दोनों अदालतों में असफल रहने के बाद, वादी/अपीलकर्ता इस अदालत के समक्ष तत्काल दूसरी अपील में है।
- (2) वादी के संक्षिप्त तथ्य अपीलकर्ता ने विवादित संपत्ति यानी मस्जिद पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। वादपत्र में दिए गए कथन के अनुसार, विवादित संपत्ति मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद के रूप में बनाई और समर्पित की गई थी और पिछले लगभग 100 वर्षों से इसे नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। जिसके आधार पर, यह दावा किया गया कि विचाराधीन संपत्ति एक मुस्लिम/वक्फ संपत्ति थी और वक्फ अधिनियम 1954 के संचालन द्वारा वादी/अपीलकर्ता बोर्ड में निहित थी।
- (3) दुर्भाग्य से, देश के विभाजन के बाद, शहर की अधिकांश मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई और कुछ परिवार देश के अन्य शहरों में चले गए। परिणामस्वरूप, शहर में बहुत कम संख्या में परिवार बचे थे और इस प्रकार मस्जिद में नमाज अदा करना बंद कर दिया गया था और विवादित संपत्ति की देखभाल मुस्लिम समुदाय द्वारा नहीं की जा सकती थी, इस समय प्रतिवादी/प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया था वर्ष 1952 में विचाराधीन संपत्ति बिना किसी अधिकार या अधिकार के। आगे यह कहा गया कि मुकदमें में प्रतिवादी/प्रतिवादी को अतिचारी होने के कारण कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है।
- (4) प्रतिवादी की ओर से इस बात से इनकार किया गया कि वाद संपत्ति एक मुस्लिम संपत्ति थी और मुस्लिम द्वारा नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद के रूप में समर्पित की गई थी। प्रतिवादी/प्रतिवादी द्वारा आगे यह दलील दी गई कि मुकदमा परिसीमा से परे है। प्रतिवादी प्रतिकुल कब्जे के माध्यम से विवादित संपत्ति का मालिक बन गया था।
 - (5) पार्टियों की दलीलों से, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -
 - 1. क्या विवादित संपत्ति, जैसा कि वादपत्र के शीर्षक में बताया गया है, मस्जिद का स्थान है? ऑप
 - यदि जारी नं. 1 साबित हो गया है िक क्या विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति है और वादी बोर्ड में निहित है, यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या है? ऑप
 - क्या प्रतिवादी विवादग्रस्त संपत्ति पर अतिक्रमणकारी है
 जैसा कि पैरा संख्या में आरोप लगाया गया है। वादी के 5? ऑप
 - क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है?
 ओपीडी
 - 5. क्या मुकदमा परिसीमा के भीतर है? ओपीडी
 - 6. क्या आवश्यक पक्षों के नॉनजॉइंडर के लिए मुकदमा ख़राब है? ओपीडी

PUNJAB WAKF BOARD THROUGH SECRETARY AMBALA CANTT. v. SMT.PARBATI AND ANOTHER

(Jitendra Chauhan, J.)

- 7. क्या प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से विवादित संपत्ति का मालिक बन गया है? ओपीडी
- क्या वादी बोर्ड एक कॉर्पोरेट निकाय है और अब्दुल सितार, वक्फ अधिकारी, वर्तमान मुकदमा दायर करने में सक्षम है? ऑप
- क्या वादी को वर्तमान मुकदमा दायर करने से रोका गया है?
 उसका अपना कार्य और आचरण? ओपीडी
- क्या न्यायालय शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है?
 ओपीडी
- 11. राहत।
- (6) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वाद क्रमांक 1 और 2 को वादी के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष में यह मानते हुए निर्णय दिया कि विवादित संपत्ति वर्ष 1948 से पहले एक मिन्जिद थी और यह गलत तरीके से वादी/बोर्ड में निहित थी। मुद्दा संख्या 3 और 7 के तहत, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी के पास 1950 से विवादित संपत्ति का कब्ज़ा है, यह मानते हुए कि उसने देश के विभाजन के बाद विवादित संपत्ति का अतिक्रमण किया है। यह भी देखा गया है कि प्रतिवादी प्रतिकृल कब्जे के माध्यम से विवादित संपत्ति का मालिक बन गया और तदनुसार मुद्दा संख्या 3 और 7 प्रतिवादी के पक्ष में और वादी के खिलाफ तय किया गया। मुद्दा संख्या 5.6,8 और 10 नहीं थे। दब गया। मुद्दे संख्या 4 और 9 के संबंध में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी 1950-51 से अतिचारी के रूप में मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा कर रहा था। पंजाब वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1959 और निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि वादी का मामला यह नहीं था कि वाद संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति थी। कोई मिस्जद निष्क्रान्त संपत्ति नहीं बन सकती। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि प्रतिवादी का कब्ज़ा वास्तिवक मालिक के प्रतिकृल हो गया है और यह वैसा ही बना हुआ है, यहाँ तक कि उत्तराधिकारी के विरुद्ध भी।
 - (7) विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पृष्टि की गई।
 - (8) वर्तमान अपील इस न्यायालय द्वारा 2 सितंबर, 1985 को स्वीकार की गई थी।
- (9) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर, यह स्थापित किया गया है कि विवाद में संपत्ति एक मिस्जिद और वक्फ संपत्ति थी, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उपयोगकर्ता के बिंदु पर अधिकारियों पर गलत भरोसा किया। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि मुद्दे संख्या 1 और 2 पर नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पूरी तरह से गलत और रिकॉर्ड के खिलाफ हैं। विवादित संपत्ति विधायिका के अधिनियमन द्वारा वक्फ बोर्ड में निहित हो गई है और ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के विपरीत इस मुद्दे पर निर्णय लिया।
- (10) हरियाणा सरकार राजपत्र (अतिरिक्त), पार्टि, विधायी विभाग, अधिसूचना दिनांक 15 नवंबर, 1978 (मार्क 'सी') द्वारा बढ़ाया गया था, जिसके तहत परिसीमा 31 दिसंबर, 1980 तक बढ़ा दिया गया था। सीमा के विस्तारित कानून के मद्देनजर मुद्दे संख्या 3 और 7 को गलत तरीके से तय किया गया था।
- (11) आगे प्रस्तुतीकरण यह है कि प्रतिवादी/प्रतिवादी का कब्ज़ा अंतिम रूप से प्राप्त हो गया है और वादी/अपीलकर्ता के प्रतिकृत हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।
 - (12) अंत में, विद्वान वकील का कहना है कि इस निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद कि प्रतिवादी/प्रतिवादी एक अतिक्रमी

था, व्यक्तिगत मामले पर लागू सीमा अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करके प्रतिकूल कब्जे के निष्कर्ष को गलत तरीके से दर्ज किया गया।

- (13) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वक्फ/बोर्ड की ओर से मुकदमा चलने योग्य नहीं है और अपीलकर्ता का स्वामित्व साबित नहीं हुआ है। रिकॉर्ड पर यह भी साबित नहीं हुआ है कि विवादित संपत्ति शिया या सुनी समुदाय की है. इसलिए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। यह रिकॉर्ड पर स्थापित है कि विवाद में संपत्ति वर्ष 1951-52 से प्रतिवादी के कब्जे में थी और निचली अदालत ने प्रतिवादी/प्रतिवादी के पक्ष में मुद्दा संख्या 7 का सही फैसला सुनाया।
 - (14) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
- (15) कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न जो विचार के लिए उभरता है वह यह है कि क्या दर्ज किए गए निष्कर्ष दस्तावेजों की गलत व्याख्या के कारण किसी विकृति से ग्रस्त हैं?
- (16) रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि विवादित संपत्ति एक मस्जिद थी जिसका इस्तेमाल शहर के मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के लिए किया जाता था। हालाँकि, देश के विभाजन के बाद, शहर में केवल कुछ मुस्लिम परिवार रह गए और मस्जिद अनुपयोगी हो गई, जिस पर वर्ष 1951-52 में प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। अब्दुल सितार, वक्फ अधिकारी, पीडब्लू1 के बयान के अनुसार, विवादित संपत्ति मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के रूप में बनाई और समर्पित की गई थी। यह तथ्य इस्माईल, पीडब्लू2 और कामरू दीन, पीडब्लू3 के बयानों से पृष्ट होता है।
- (17) पंजाब वक्फ बोर्ड अधिसूचना, प्रदर्शनी पी 3 और फॉर्म नंबर 4 (बिना अर्जित निष्क्रांत संपत्ति का किराया मांग और संग्रह रिजिस्टर प्रदर्शनी पी 6) के अनुसार, विवादित संपत्ति को एक मस्जिद के रूप में दिखाया गया है। यह तथ्य आगे मूल्यांकन रिजिस्टर से साबित होता है। मार्क 'ए'), वर्ष 1974-75 से संबंधित, िक विवाद में संपत्ति मस्जिद वक्फ बोर्ड है। इसिलए नीचे दिए गए न्यायालयों के मुद्दे संख्या 1 और 2 पर निष्कर्ष साक्ष्य और रिकॉर्ड की गलत व्याख्या और तदनुसार आए हैं इसे यह मानते हुए उलट दिया गया है कि विवादित संपत्ति वक्फ बोर्ड में निहित एक मस्जिद है।
- (18) अब मुद्दा यह है कि क्या हरियाणा अधिनियम संख्या 27, 1978-हरियाणा सार्वजनिक वक्फ (सीमा का विस्तार) अधिनियम 1978 (संक्षेप में 'अधिनियम') तत्काल मामले पर लागू है या नहीं। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -
 - (2) इस अधिनियम में, "सार्वजनिक वक्फ' का अर्थ है मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण।
 - (3) जहां सार्वजिनक वक्फ का हिस्सा बनने वाली किसी अचल संपत्ति या उसमें किसी भी हित के कब्जे के लिए भारतीय पिरसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 64 या 65 में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार मुकदमा दायर करने का हकदार व्यक्ति किसी भी स्थिति में बेदखल कर दिया गया हो। 14 अगस्त 1947 के बाद और 7 मई 1954 से पहले, या, जैसा भी मामला हो, ऐसे मुकदमे में प्रतिवादी का कब्ज़ा उक्त अविध के दौरान किसी भी समय ऐसे व्यक्ति के प्रतिकूल हो गया है। तब अविध, उक्त अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, ऐसे मुकदमे के संबंध में परिसीमा की अविध 31 दिसंबर, 1980 तक बढ़ जाएगी।

- (19) नीचे दी गई विद्वान अदालतों ने अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी की और गलत तरीके से यह माना कि प्रतिवादी/प्रतिवादी का कब्जा प्रतिकूल है। यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि मुकदमे के संबंध में परिसीमा की अवधि 31 दिसंबर, 1980 तक प्रवेश करेगी। मुकदमा 16 जुलाई, 1979 को दायर किया गया था। इन परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों से गलती हुई है इस अधिनियम के प्रभाव पर विचार नहीं किया जा रहा है। वाद परिसीमा के अंतर्गत होने के कारण, प्रतिवादी का प्रतिकूल कब्ज़ा साबित नहीं होता है। नीचे दी गई दोनों अदालतों के निष्कर्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की गलत व्याख्या के कारण विकृत हैं।
- (20) ऊपर की गई टिप्पणी के मद्देनजर, अन्य मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, वर्तमान अपील की अनुमित दी जाती है और निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णयों और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है। जैसा कि वादी के शीर्षक में पूरी तरह से उल्लेख किया गया है, जैसा कि प्रार्थना की गई है, वादी के मुकदमें को मस्जिद के कब्जे के लिए डिक्री किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है.

आरएनआर

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

> सुखवीर कौर प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) हिसार, हरियाणा